राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(6)राजस्व-6/94/37 जयपुर, दिनांक:- 12.10.2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन (संशोधन) (द्वितीय) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959, जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है, के नियम 1-क में अभिव्यक्ति "श्रम कालोनी" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "शैक्षणिक संस्थान" के पूर्व अभिव्यक्ति "निवासीय कालोनी/आवासन प्रक्षेत्र और नगरी," अन्तःस्थापित की जायेगी।

3. उक्त नियमों के नियम 11-क में, शर्त (iv) के पश्चात् और शर्त (v) के पूर्व निम्नलिखित नयी शर्त (iv-क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(iv-क) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम लिमिटेड का उप-पट्टेदार, उप-पट्टाकृत भूमि या उसके भाग को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो ऐसे उप-पट्टेदार और पश्चात्वर्ती उप-पट्टेदार के बीच परस्पर सहमति से तय हो, आगे उप पट्टे पर दे सकेगा। उप-पट्टेदार पर लागू निबंधन और शर्तें, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे पश्चात्वर्ती उप-पट्टेदार पर भी लागू होगी।"।

राज्यपाल के आदेश से,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री / मुख्य सचिव / सचिव, राजस्व ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान , अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 12.10.2000 में प्रकाशनार्थ ।
7. " हाकिरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
9. सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
10. विधि संहिताकरण विभाग ।
11. उप निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
12. रक्षित पत्रावली ।

सहायक विधि प्रारूपकार

मनोज/